रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042026-272130
CG-DL-E-28042026-272130

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]	नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2026/वैशाख 8, 1948
No. 290]	NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2026/VAISAKHA 8, 1948

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 314(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी के पद) भर्ती नियमावली, 1964, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ तकनीशियन और डीजल तकनीशियन के पदों से है, आकाशवाणी (वर्ग 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 1979, जहां तक उनका संबंध मास्ट तकनीशियन के पद से है और आकाशवाणी ज्येष्ठ तकनीशियन श्रेणी 1 और 2 और तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1995, जहां तक उनका संबंध तकनीशियन के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) में ज्येष्ठ प्रसारण तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती ज्येष्ठ प्रसारण तकनीशियन समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु -सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ज्येष्ठ प्रसारण तकनीशियन	लागू नहीं होता ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400)	चयन पद।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
7.	8.	9.	10.
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति के लिए दो वर्ष।	(i) प्रोन्नति द्वारा — रिक्तियों का 5 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे से, उन व्यक्तियों के लिए निर्धारित होगा, जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर माना गया है, जैसा कि प्रसार भारती के विनियमों के निबंधनों में संबंधित पदों के लिए विहित है।

			(ii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा — रिक्तियों का 95 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे से, उन व्यक्तियों के लिए निर्धारित होगा, जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर माना गया है, जैसा कि प्रसार भारती के विनियमों के निबंधनों में संबंधित पदों के लिए विहित है। **टिप्पण:** सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड — डीज़ल इंजन ड्राइवर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु. 19900–63200) में पद पर नौ वर्ष नियमित सेवा की हो तथा हेल्पर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु. 18000–56900) में पद पर ग्यारह वर्ष नियमित सेवा की हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11.	12.	13.
प्रोन्नति: डीज़ल इंजन ड्राइवर, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु. 19900–63200) में पद पर अठारह वर्ष नियमित सेवा की हो तथा प्रसारण या टेलीकास्टिंग के लिए अपेक्षित स्टूडियो और ट्रांसमिशन उपकरणों के प्रचालन और अनुरक्षण में तीन सप्ताह का इन-हाउस प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचाराधीन हैं, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. उप महानिदेशक (इंजीनियरी), निगम में डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर – अध्यक्ष; 2. निदेशक (इंजीनियरी) या उप निदेशक (इंजीनियरी), निगम में डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर – सदस्य; 3. उप निदेशक (प्रशासन) – सदस्य। **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. उप महानिदेशक (इंजीनियरी), निगम में डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर – अध्यक्ष; 2. निदेशक (इंजीनियरी) या उप निदेशक (इंजीनियरी), निगम में डीम्ड (प्रतिनियुक्ति) पर – सदस्य; 3. उप निदेशक (प्रशासन) – सदस्य।	लागू नहीं होता।

कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति हेतु अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

[फा. सं. बी-13014/1/2019-बीएई]

पृथुल कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण:-

1. ये नियम सभी ज्येष्ठ प्रसारण तकनीशियन और उनके फीडर कैडरों की उन सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर विद्यमान नहीं रहेंगे, जो निगम में डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर हैं और 01.04.2000 से पहले भर्ती किए गए हैं।
2. इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह स्पष्ट किया जाता है कि ज्येष्ठ प्रसारण तकनीशियन के विलय किए गए पद के लिए ये भर्ती नियम अनन्य रूप से 01.04.2000 से पहले भर्ती किए गए कर्मचारियों अर्थात प्रसार भारती में डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों, पर लागू होंगे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2026

G.S.R. 314(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964 in so far as they relate to the posts of Senior Technician and Diesel Technician, All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1979 in so far as they relate to the post of Mast Technician and All India Radio Senior Technician Grades I and II and Technician (Group C Posts) Recruitment Rules, 1995 in so far as they relate to the post of Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Broadcast Technician in Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Prasar Bharati Senior Broadcast Technician, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, classification and pay level in pay matrix. - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No Person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex- Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Broadcast Technician.	Not applicable.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotion.	(i) by promotion – 5 per cent. of the vacancies earmarked to deemed deputationists from the promotion quota prescribed in terms of Prasar Bharati regulations for the respective posts; (ii) By Limited Departmental Competitive Examination- 95 per cent. of the vacancies earmarked to deemed deputationists from the promotion quota prescribed in terms of Prasar Bharati regulations for the respective posts. **Note:** Eligibility criteria for Limited Departmental Competitive Examination.-Diesel Engine Driver in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) in the pay matrix with nine years of regular service and Helper in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) in the pay matrix with eleven years of regular service.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Department Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Diesel Engine Driver in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) in the pay matrix with eighteen years of regular service and having successfully completed three weeks' in-house training in operation and maintenance of studio and transmission equipment required for broadcasting or telecasting. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Deputy Director General (Engineering) on deemed deputation to Corporation - Chairperson; 2. Director(Engineering) or Deputy Director (Engineering)	Not applicable.

considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	on deemed deputation to Corporation - Member. 3. Deputy Director of Administration - Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:-** 1. Deputy Director General (Engineering) on deemed deputation to Corporation -Chairperson; 2. Director (Engineering) or Deputy Director (Engineering) on deemed deputation to Corporation - Member. 3. Deputy Director of Administration - Member.	

[F. No. V-13014/1/2019-BAE]

PRITHUL KUMAR, Jt. Secy.

Note:-

1. These rules shall cease to exist on superannuation of all Senior Broadcast Technician and its feeder Cadres from the Government servants who are on deemed deputation to the Corporation and recruited prior to 01.04.2000.
2. Notwithstanding anything contained in these rules, it is hereby clarified that these Recruitment Rules for the merged post of Senior Broadcast Technician shall apply exclusively to the employees recruited prior to 01.04.2000, i.e., Government employees on deemed deputation to Prasar Bharati.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.04.28 21:15:45 +05'30'